न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर (राजस्थान)

प्रकरण संख्याः— 212/2018 (राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975)

सुरेन्द्र उर्फ गोलु पुत्र श्री मटकुली जाति रैगर उम्र 20 साल पेशा मजदूरी निवासी रेलवे कॉलौनी कोतवाली जिला सवाई माधोपुर।

सायल

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर।

गैर सायल

अपील अंतर्गत धारा 4 राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.8.2018 मु0नं0 6/16 राज0 सरकार बनाम सुरेन्द्र उर्फ गोलू धारा—3 राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 न्यायालय एडीएम सवाई माधोपुर।

उपस्थित :

1. श्री इंसाफ अली वकील प्रार्थी।
2. सहायक लोक अभियोजक।

निर्णय

दिनांक : 30.01.2019

यह अपील राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला दण्डनायक, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 24.8.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत मु0 नं0 526/11, 167/15, 15/16, 94/16 दर्ज होना बताया तथा उक्त प्रकरणों में दोषी मानते हुऐ अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अपीलान्ट जुआ खेलने सट्टा लगाने का आदी होने से उसकी प्रवृतियां जनहित विरोधी दुष्प्रेरणा से प्रेरित करने वाली मानते हुऐ कार्यवाही करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को गुण्डा की श्रेणी में मानते हुऐ तीन माह की समायावधि के लिये सवाई माधोपुर जिले से निष्कासित किये जाने के आदेश पारित किये गये है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गलत तथ्यों पर मात्र अपना टारगेट पूरा करने के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। तहत अदालत ने निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि अपीलान्ट पर जिन मुकदमात को मानकर 3 माह के लिये जिला–वदर की कार्यवाही की गई है उक्त प्रमाण में पहला मुकदमा दायर दिनांक 11.12.2011 फैसला दिनांक 18.12.11, दूसरा मुकदमा दायर 6.6.15 फैसला 8.6.15, तीसरा मुकदमा दायर 8.1.16 फैसला 12.1.16 तथा चौथा मुकदमा दायर 1.4.16 फैसला 5.4.16 बताया गया है। इससे यह साबित होता है कि अपीलान्ट के खिलाफ 5 वर्ष में 4 मुकदमें वो भी संगीन अपराध की श्रेणी में नहीं आते है। फिर भी तहत अदालत ने कठोर रूख अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो काबले मंसूखी है। इसके अलावा वकील अपीलान्ट का यह भी कहना है कि अपीलान्ट के खिलाफ दायर उपर्युक्त सभी मुकदमों का भी माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा लोक अदालत की मंशा के मद्देनजर अपीलान्ट के विरूद्ध नरमी का रूख अपनाते हुये 100–100 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित कर निर्णय पारित कर दिया गया है। वर्तमान में कोई भी प्रकरण अपीलान्ट के खिलाफ विचाराधीन नहीं है। अपीलान्ट एक सामाजिक व्यक्ति है एवं रेलवे कॉलोनी का स्थायी निवासी होकर शान्तिप्रिय एवं गृहस्थी अपने परिवार पत्नी बाल बच्चो सहित सामाजिक जीवन यापन करता है। यदि समाज कंटक होता तो अन्य संगीन अपराध भी करता लेकिन यहां अपीलान्ट को वे वजह निम्न श्रेणी के मुकदमों को आधार बनाया जाकर गुण्डा घोषित कर जिला वदर किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलान्ट के विरूद्ध जिला वदर की कार्यवाही की जावे। इसके अलावा अपीलान्ट पर गुण्डा एक्ट की कार्यवाही प्रारम्भ होने के 6 माह की समायावधि में पंजीवद्ध नही हुऐ हैं। जबकि राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के लिये 6 माह की अवधि में लगातार तीन अपराध में दोष सिद्ध होना आवश्यक है। अपीलान्ट पर गुण्डा एक्ट के प्रावधान लागू नही होते हैं। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जिला पुलिस अधीक्षक को परीक्षित नही किया तथा उनके उपस्थित नही होने पर परिवाद साबित नही होता है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी ने जिन अपराधो की स्वीकारोक्ति की है, वे अपराध अपीलान्ट ने लोक अदालत की भावना से न्यायालय में किये है अपीलान्ट उक्त मुकदमों में मैरिट के आधार पर दोषी नही ठहराया गया है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के विरूद्ध तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश स्वाभाविक एवं न्यायपूर्ण नही है। अपीलान्ट का चरित्र उत्तम है तथा उक्त मुकदमा पुलिस ने झूठा बनाया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने एवं तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.8.2018 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक का तर्क है कि अपीलान्ट जुआ खेलने व सट्टा लगाने का आदी है उसकी यह प्रवृतियां जन हित विरोधी हैं। उसके आतंक से जनता में भय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

व्याप्त है जिससे इसके विरूद्ध न तो कोई रिपोर्ट करता है और न ही गवाही देता है। जिसकी वजह से अपीलान्ट का जिले में रहना जन हित में उचित नही है। तहत अदालत ने जनहित को देखते हुऐ तथा अपीलान्ट द्वारा बार–बार अपराधों की पुनरावृति करने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उनका तर्क है कि न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि करार देते हुऐ अर्थ दण्ड से दण्डित कर दिये जाने के बाबजूद भी वह अपनी अवैधानिक हरकतों व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नही लगा रहा था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत् है, अपील खारिज की जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
>
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

"Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर द्वारा इस्तगासा कमांक 8647 दिनांक 26.8.2016 के जरिये तहत अदालत के समक्ष अपीलान्ट के खिलाफ उपर्युक्त वर्णित चार मुकदमों कमशः 526/11 दिनांक 11.12.11, 167/15 दिनांक 6.6.2015, 15/16 दिनांक 8.1.2016, 94/16 दिनांक 1.4.2016 को आधार बनाया जाकर इस्तगासा पेश किया गया जिस पर बाद कार्यवाही तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.8.2018 पारित करते हुये अपीलान्ट को 3 माह के लिये जिला वदर किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट पर गुण्डा एक्ट की कार्यवाही प्रारम्भ होने के 6 माह की समायावधि में उक्त मुकदमें पंजीवद्ध नही हुऐ हैं। जबकि राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार " किसी कार्यवाही के प्रारम्भ किये जाने से ठीक 6 माह पूर्व की अवधि के दौरान उपखण्ड (1) (6) (7) या (8) में वर्णित अपराधों, कृत्यों को जैसी भी स्थिति को कम से कम तीन अवसरों पर करता हुआ पाया जाये।" वकील अपीलान्ट के इस

Web Copy Not Official

तर्क से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा लोक अदालत की मंशा के मद्देनजर अपीलान्ट के विरूद्ध नरमी का रूख अपनाते हुये अर्थ दण्ड से दण्डित कर निर्णय पारित कर दिया गया है। अदालत हाजा के समक्ष राजकीय पक्ष की ओर से भी इस बाबत भी कोई पुष्टि नहीं की गई है कि अपीलान्ट के खिलाफ वर्तमान में या इस्तगासा में वर्णित मुकदमों के आलावा कोई अन्य मुकदमे दर्ज हुये हों। ऐसा कोई तथ्य अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं हुआ जिससे अपीलान्ट की कृत्य कारित करने की निरन्तरता को स्वीकार किया जा सके। वर्ष 2011–2016 में दायर एक धूम्रपान अधिनियम एवं तीन आरपीजीओ के लोक अदालत की भावना से निर्णित कुल चार पांच प्रकरणों के अलावा अन्य कोई प्रकरण गैर सायल के खिलाफ दर्ज होने बाबत तथ्य अदालत हाजा के समक्ष पेश न किये जाने एवं उपर्युक्त प्रकरण गुण्डा एक्ट की कार्यवाही प्रारम्भ होने के ठीक 6 माह की समायावधि में पंजीवद्ध नही होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये तत्कालीन परिस्थितियों को वर्तमान में आधार बनाया जाना न्यायोचित नहीं रहता है। परिस्थितियां बदल गई हो सकती है, व्यक्ति की अपनी आदतों में परिवर्तन हो सकता है, और निरोध करने की आवश्यकता खत्म हो सकती है। वास्तव में राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 निरोधात्मक है न कि दण्डात्मक। हमारी विनम्र राय में तात्पर्य है कि यह कानून किसी व्यक्ति की आपराधिक प्रवृर्ति की निरन्तरता पर तत्समय अंकुश लगाने एवं उसकी आपराधिक गतिविधियों के कुप्रभाव से समाज को बचाने से है । इस प्रकरण में इस्तगासा में जो प्रकरण गैरसायल के खिलाफ अंकित किये गये है वे वर्ष 2011–2016 के है जिनका तत्समय ही सक्षम अदालत द्वारा निर्णय किया जा चुका है उनको आधार बनाया जाकर दिनांक 11.8.2016 को इस्तगासा पेश किया गया है। इसके अलावा वर्तमान में अप्रार्थी के चालचलन बाबत ऐसा कोई तथ्य अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे उसके वर्तमान में भी आपराधिक प्रवृत्ति की निरन्तरता को माना जा सके। ऐसी स्थिति में आज के हालातों को नजर–अंदाज करते हुये करीब 6 साल पुराने मुकदमें को आधार बनाया जाकर गैर सायल के विरूद्ध राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाना उचित नहीं रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.8.2018 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official